बिहार–सरकार
समाहरणालय–लखीसराय
(कार्मिक कोषांग)

आदेश

लोकसभा निर्वाचन–2019 हेतु कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया गया। डाटाबेस तैयार करने के पश्चात् कर्मियों को कर्त्तव्य आवंटित करते हुए प्रथम नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया।

वर्तमान में कतिपय कर्मियों के द्वारा असाध्य रोग/ अस्वस्थता/विकलांगता के आधार पर निर्वाचन कार्य से मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में संबंधित कर्मियों का मेडिकल बोर्ड से जॉच करा लेना श्रेयष्कर है, ताकि मेडिकल बोर्ड से मंतव्य प्राप्त होने के उपरांत उपयुक्त कर्मियों की सेवा ली जा सकें।

अतः उपरोक्त के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। अपर समाहर्त्ता–सह– वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग गठित बोर्ड के नामित सदस्य होगें। उक्त बोर्ड के अन्य सदस्य अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा नामित दो विशेषज्ञ चिकित्सक होगें। प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग लखीसराय निर्धारित तिथि तक प्राप्त अभ्यावेदनों को संधारित कर जॉच हेतु मेडिकल बोर्ड में उपस्थापित करेंगे। इसकी सूचना एन.आई.सी., लखीसराय एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम् से प्रकाशित की जायेगी। मेडिकल बोर्ड दिनांक 6-4-19 को प्रातः 10 बजे सदर अस्पताल/मंत्रणा कक्ष समाहरणालय, लखीसराय में आहुत की जायेगी।

ह0/-

जिला निर्वाचन–सह– जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांकः– 41 दिनांकः– 30-3-19

प्रतिलिपिः– अपर जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि सभी सामचार पत्रों में इस आशय की सूचना देना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित। इस आशय की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह– वरीय पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, लखीसराय/प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/19

जिला निर्वाचन–सह– जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।